न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-508/2021

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अफरोज, पे0-जैनुद्दीन
सा0-डेंगा, वार्ड नं0-12, थाना-पलासी, जिला-अररिया

(2) बीबी बिरजीस, पिता-बजमुल
सा0-बरहट, थाना-पलासी, जिला-अररिया, पिन कोड-854333
(मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38R7675
चेचिस संख्या-MBLJARO37J9G09957
ईंजन संख्या-JA05EGJ9G30054 के मालिक)........................विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1354/ हि0शा0, दिनांक-25.07.2020) के आलोक में सिकटी थाना कांड संख्या-29/20, दिनांक- 31.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38K7675, चेचिस संख्या-MBLJARO37J9G09957, ईंजन संख्या-JA05EGJ9G3- 0054 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षी सं0-01 की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई। विपक्षी सं0-02 को निर्गत सूचना बिना तामिला वापस प्राप्त हुआ। (2) "दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण" समाचार पत्र में दिनांक 09.04.2021 एवं 10.04.2021 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। विपक्षी (वाहन मालिक) को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एकपक्षीय सुना गया। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1354/हि0शा0, दिनांक-25.07.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक, सिकटी थाना दिनांक 31.01.2020 को समय 17. 00 बजे थाना रिजर्व गार्ड के सिपाही के साथ पुलिस गाड़ी से संध्या गस्ती में प्रस्थान किये। गस्ती के क्रम में सिकटी बाजार चौक समय 20.30 बजे पहुँचे। एक मोटर साईकिल पर एक बोरा लदा हुआ था। पुलिस गाड़ी को देखकर विपक्षी (मोटर साईकिल चालक) भागने का प्रयास करने लगा। संदेह के आधार पर गस्ती पार्टी के सहयोग से उसे घेर कर पकड़ लिया गया गया। दो स्वतंत्र साक्षी-1. सनोज मलिक, पे0-शिवानन्द मलिक, सा0-सिकटी, वार्ड नं0-11, थाना-सिकटी, जिला-अररिया एवं 2. मनोज मलिक, पे0-शिवानन्द मलिक, सा0-सिकटी, वार्ड नं0-11, थाना-सिकटी, जिला-अररिया के समक्ष गस्ती पार्टी द्वारा अपना-अपना तलाशी देते हुए मोटर साईकिल एवं उस पर लदा बोरा की तलाशी लिया गया। बोरा एवं डिक्की में कुल-55 बोतल नेपाली देशी शराब प्रत्येक बोतल 300 मिली लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38R7675, चेचिस संख्या-MBLJA- RO37J9G09957, ईंजन संख्या-JA05EGJ9G3-0054 को पुलिस अवर निरीक्षक, सिकटी थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
22.07.2021	बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी सं0-01 के विरूद्ध सिकटी थाना कांड संख्या-29/20, दिनांक-31.01.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल वाहन राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (5) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल का उपयोग कुल-16.500 लीटर शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38R7675, चेचिस संख्या-MBLJARO37J9G09957, ईंजन संख्या-JA05EGJ9G30054 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार सिकटी थाना कांड संख्या-29/20, दिनांक-31.01.2020 में **जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38R7675, चेचिस संख्या-MBLJARO37J9G09957, ईंजन संख्या-JA05EGJ9-G30054 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1650/विधि, अररिया, दिनांक 29.7.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	